अनुदान संख्या 50 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 50 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	415,75,00	416,72,00	393,41,71	- 23,30,29
पूरक	Supplementary	97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,24,53
पूंजीगतः	**Capital :**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	439,90,00	439,92,00	291,87,29	- 148,04,71
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				147,84,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2330.29 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹97.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2330.29 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹97.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	2034.00	1575.18	1573.20	-1.98
पु.	R.	-458.82			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	39541.00			
पू.	S.	97.00	37772.29	37768.51	-3.78
पु.	R.	- 1865.71			

(I) ₹1401.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1400.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता" के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1401.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹1400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Other Engineering Industries - Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme" - due to non-receipt of proposal from Central Public Sector Enterprises.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - भारत यंत्र निगम लि. के बंद होने के कारण कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों और सांविधिक देयताओं की अदायगी" के अंतर्गत ₹32.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित होने की वजह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹13.26 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Other Engineering Industries - Payment of salaries and wages and statutory dues to Employees due to closure of Bharat Yantra Nigam Ltd."- funds of ₹32.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹13.26 lakhs – due to requirement of less funds towards Voluntary Retirement Scheme owing to pending Writ Petition in High Court.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत ₹460.80 लाख की बचत (₹2034.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और वित्त मंजूरी प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से छुट्टी यात्रा रियायत और पेशेवर सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Heavy Industry" – saving of ₹460.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2034.00 lakhs) was due to non creation of posts, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards leave travel concession and professional services owing to delay in obtaining financial sanction and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना पर व्यय" के अंतर्गत ₹670.50 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और प्रस्ताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(IV) Under Major Head "2852" – "General - Industrial Education, Research and Training - Expenditure in connection with Science and Technology Plan"- saving of ₹670.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and non-finalization of proposals.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹212.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - हिन्दुस्तान साल्ट लि. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं की अदायगी" के अंतर्गत ₹64.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹211.72 लाख था।

2. The above savings were partly (₹212.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹64.00 lakhs under Major Head "2852" – "Consumer Industries – Others - Payment of Pension liabilities to the employees of Hindustan Salt Ltd." Actual excess, however, was ₹211.72 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings / excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3990.00	..	..	..
पु.	R.	- 3990.00			
मुख्य शीर्ष "6854"	Major Head "6854"				
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	15000.00	..	..	..
पु.	R.	- 15000.00			
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"				
इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	25000.00			
पू.	S.	1.00	25530.00	25510.29	-19.71
पु.	R.	529.00			
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"				
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Consumer Industries				
मू.	S.	1.00			
पु.	R.	3677.00	3678.00	3677.00	-1.00

(I) ₹43990.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" -"कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड" -₹3990.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹43990.00 lakhs remained wholly unutilized under the following three heads: -

(A) Major Head "4552" - "Paper and Newsprint –Investments in Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Paper Corporation Ltd."- ₹3990.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from the implementing agencies.

(ख) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुन:प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन" - ₹15000.00 लाख पुन:प्रवर्तन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "6854"- "Others - Other Loans - Implementation of revival schemes of PSEs"- ₹15000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises under revival scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करना और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - ₹25000.00 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पुन:प्रवर्तन स्कीम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू किए जाने के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को किए जाने और सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "6858" - "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement Schemes (VRS) and payment of statutory dues"- ₹25000.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to various Public Sector Enterprises for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme and payment of statutory dues and surrender of the balance amount.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹29156.31 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था : -

4. The above savings were partly (₹29156.31 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2011 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "6858"

(I) Major Head "6858" -

(का) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर इंडिया लिमिटेड को कर्ज" - ₹808.00 लाख।

(A) "Transport Equipment Industries- Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Scooters India Ltd."- ₹808.00 lakhs.

(खा) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(B) "Others Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(क) "हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज" - ₹9538.00 लाख।

(a) "Loans to Hindustan Cables Ltd."- ₹9538.00 lakhs.

(ख) "एचएमटी लिमिटेड को कर्ज" - ₹14569.31 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14568.31 लाख था।

(b) "Loans to HMT Ltd."- ₹14569.31 lakhs. Actual excess, however, was ₹14568.31 lakhs.

(ग) "त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी तथा सांवधिक देयताओं की अदायगी के लिए कर्ज" - ₹315.00 लाख।

(c) "Loans to Triveni Structure Ltd. towards the payment of salaries and wages and Statutory dues of the employees"- ₹315.00 lakhs.

(घ) "तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि. को कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी और सांविधिक देयताओं की अदायगी के लिए कर्ज" - ₹249.00 लाख।

(d) "Loans to Tungabhadra Steel Products Ltd. towards the payment of salaries and wages and statutory dues of the employees"- ₹249.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(का) "नेपा लि. को कर्ज" - ₹2796.00 लाख।

(खा) "हिन्दुस्तान पेपर निगम लि. को कर्ज" - ₹881.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹880.00 लाख था।

(II) Major Head "6860" – "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(A) "Loans to Nepa Ltd."- ₹2796.00 lakhs.

(B) "Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd." - ₹881.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹880.00 lakhs.